न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 130/2025 अन्तर्गत धारा 111,128 आर.एल.आर.एक्ट

मानाराम बनाम हेमाराम व अन्य

पीठासीन अधिकारी – रणछोड़ लाल, आर.ए.एस

प्रार्थीगण वकील – श्री आईदानराम गोदारा
विप्रार्थीगण वकील – एकतरफा

–: निर्णय:– दिनांक – 03.10.2025

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि उसकी खातेदारी का खेत सरहद **मौजा ठाकर विरधासर में खसरा स. 1139/1051 रकबा 1.9911 हैक्टेयर, पटवार क्षेत्र नेहरों की नाडी, तहसील धनाऊ** में स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज की। विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/रजि.नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थीगण वकील की एकतरफा बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमी की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। चूंकि प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि सरहद **मौजा ठाकर विरधासर में खसरा स. 1139/1051 रकबा 1.9911 हैक्टेयर, पटवार क्षेत्र नेहरों की नाडी, तहसील धनाऊ** की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार धनाऊ को रूपये 500/– फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो। कमीश्नर को कमीश्नर फीस प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे।

कमीश्नर को आदेश दिया जाता है कि वें प्राथीगण के खसरों की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

निर्णय आज दिनांक 03.10.2025 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली [illegible] हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2025.12.02 13:05:54 IST
Reason: SelfAttested

(रणछोड़ लाल)
उपखण्ड अधिकारी